पथ निर्माण विभाग में कांट्रैक्ट पर बहाल होंगे 200 इंजीनियर

राज्य ब्यूरो, पटना : पथ निर्माण विभाग में कांट्रैक्ट पर 200 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति होगी। अभियंताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने शनिवार को बताया कि संविदा पर अभियंताओं की नियुक्ति में राज्य सरकार की आरक्षण नीति और आदर्श रोस्टर का पालन किया जाएगा। जिन 200 पदों पर बहाली होनी है उनमें 30 अनुसूचित जाति, 58 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 32, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 6 और सामान्य वर्ग के लिए 73 पद आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार से पेंशन पा रहे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती, नाती-नतिनी को दो प्रतिशत तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि संविदा पर नियुक्त होने वाले सहायक अभियंताओं को प्रति माह 55,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। समय-समय पर इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा। 15 जनवरी से नौ फरवरी तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजन होगा या फिर बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली नियुक्ति तक।